राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

आश्विन 26, शुक्रवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 18, 2019
Asvina 26, Friday, Saka 1941–October 18, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2019

संख्या एफ.10(क)/(चुनाव)गठन/श्रेणी/डीएलबी/19/11001 :–राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3, धारा 5, धारा 6 एवं धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांकः F10(Elec)LSG/19/7709 दिनांक 14.08.2019 को विखण्डित करती है तथा नगर निगम, कोटा को दो भागों में विभाजित करते हुए दो नये नगर निगम क्रमशः नगर निगम कोटा–उत्तर एवं नगर नगम कोटा–दक्षिण का गठन करती हैं। नवगठित नगर निगमों की सीमाओं एवं सम्मिलित होने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नांकित तालिका में नगर निगमों के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या–3 एवं कॉलम संख्या–4 में वर्णित किया गया है, अर्थातः–

<u>तालिका</u>

क्र. सं.	**नवगठित नगर निगम का नाम**	**नवगठित नगर निगम की सीमा एवं क्षेत्र का विवरण**		
		पूर्णतः अथवा अंशतः सम्मिलित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम		**वार्ड संख्या (कोटा नगर निगम के लिये वर्ष 2014 में अधिसूचित किये गये सीमांकन के अनुसार)**
1	**2**	**3**		**4**
1.	नगर निगम, कोटा–उत्तर	1.	कोटा–उत्तर	1 से 3, 11 से 19 एवं 34 से 43 (कुल 22)
		2.	लाड़पुरा	7 से 10 एवं 30 से 32 (कुल 7)
2.	नगर निगम, कोटा–दक्षिण	1.	कोटा दक्षिण	20 से 23, 26 से 28, 44 से 58, 64 एवं 65 कुल (कुल 24)
		2.	लाड़पुरा	6, 29, 33, 59 एवं 60 से 63 (कुल 8)
		3.	रामगंजमण्डी	4, 5, 24 एवं 25 (कुल 4)

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. प्रवीण कुमार,

निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

2939

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।